

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी  
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: १६ दिसम्बर, 2016

**विषय:**-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान से परिवर्तन लागत मद में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक(एन०सी०एल०पी० विद्यालयों सहित) विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी सम्मिलित हैं ) हेतु केन्द्रांश/राज्यांश की सूखाग्रस्त जनपदों हेतु तृतीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भ० प्रा०/1641/2016-17 दिनांक 08.09.2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत परिवर्तन लागत के रूप में प्राथमिक विद्यालयों विद्यालयों हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹0-35.36 लाख (₹0 पैंतीस लाख छतीस हजार मात्र ) तथा राज्यांश के रूप में ₹0-23.57 लाख ( ₹0 तेइस लाख सत्तावन हजार मात्र ) अर्थात कुल ₹0-58.93 लाख (₹0 अट्ठावन लाख तिरान्चे हजार मात्र ) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (एन० सी० एल० पी० विद्यालयों सहित ) हेतु केन्द्रांश के रूप में ₹0-23.08 लाख (₹0 तेइस लाख आठ हजार मात्र ) व राज्यांश के रूप में ₹0-15.93 लाख (₹0 पन्द्रह लाख तिरान्चे हजार मात्र) कुल ₹0-38.47 लाख (₹0 अडतीस लाख सैंतालिस हजार मात्र) अर्थात कुल ₹0-97.40 लाख (₹0 सत्तान्चे लाख चालीस हजार मात्र ) की धनराशि तृतीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार विवरण 1 व 2 के अनुसार व्यय किए जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में पके-पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु परिवर्तन लागत की दर ₹0-3.86 प्रति छात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश ₹0-2.32 तथा राज्यांश ₹0-1.54 होगा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पके-पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु ₹0-5.78 प्रतिछात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश ₹0-3.47 तथा राज्यांश ₹0-2.31 होगा।

2- वास्तविक धनराशि का आहरण ही कोषागार से किया जायेगा एवं जितनी धनराशि आहरित हो उसका व्यय निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कर लिया जाय। योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा व योजना का समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी अनियमितता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मध्यान्ह भोजन का लाभ वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों तक ही सीमित रखा जायेगा।

--2/.

- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा ।
- 6- उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में टीम भेजकर सूची में दिये गये क्षेत्रों का सत्यापन करायेंगे ।
- 7- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0103-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा ।
- 8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर-2 (21) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

संलग्नक-यथोक्त


भवदीय,

( अमिताभ त्रिपाठी )  
संयुक्त सचिव ।

संख्या-1597(1)/79-6-2016-1066/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर ।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 ।
- 10- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
- 11- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक , उ0प्र0 ।
- 12- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 ।
- 13- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग ।
- 14- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।
- 15- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग ।
- 16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  


( अमिताभ त्रिपाठी )  
संयुक्त सचिव ।

**[Mid-Day-Meal Scheme]  
Fund Allocation for Conversion Cost**

Primary Schools (Including Primary category in Secondary Schools)  
FY 2016-17: Grant-83, PLAN: 3rd Installment for Drought Affected Districts

(Rs. Lac)

Sl. No.	Districts	No. of children under SCP category availed MDM in PS (including Secondary Schools) during summer vacation as given by districts	Conversion Cost Funds Being Released as 3rd Installment for drought affected districts		
			Central Share	State Share	Total
1	2	3	5	6	7=5+6
1	01-Agra	3695	0.08	0.06	0.14
2	02-Aligarh	0	0.00	0.00	0.00
3	03-Allahabad	863	0.02	0.01	0.03
4	04-Ambedkar nagar	48260	1.12	0.74	1.86
5	05-Auraiya	2175	0.05	0.03	0.08
6	06-Azamgarh	0	0.00	0.00	0.00
7	07-Badaun	0	0.00	0.00	0.00
8	08-Baghat	0	0.00	0.00	0.00
9	09-Bahraich	0	0.00	0.00	0.00
10	10-Ballia	6182	0.14	0.10	0.24
11	11-Balrampur	24172	0.56	0.37	0.93
12	12-Banda	9759	0.23	0.15	0.38
13	13-Barabanki	3090	0.07	0.05	0.12
14	14-Bareilly	0	0.00	0.00	0.00
15	15-Basti	29331	0.68	0.45	1.13
16	16-Bhadohi	8310	0.19	0.13	0.32
17	17-Bijnour	0	0.00	0.00	0.00
18	18-Bulandshahar	0	0.00	0.00	0.00
19	19-Chandauli	1884	0.04	0.03	0.07
20	20-Chitrakoot	2073	0.05	0.03	0.08
21	21-Amethi	715	0.02	0.01	0.03
22	22-Deoria	6308	0.14	0.10	0.24
23	23-Etah	4300	0.10	0.07	0.17
24	24-Faizabad	20137	0.47	0.31	0.78
25	25-Farrukhabad	5525	0.13	0.08	0.21
26	26-Fatehpur	50426	1.17	0.78	1.95
27	27-Firozabad	0	0.00	0.00	0.00
28	28-G.B. Nagar	0	0.00	0.00	0.00
29	29-Ghazipur	0	0.00	0.00	0.00
30	30-Ghaziyabad	5	0.00	0.00	0.00
31	31-Gonda	4466	0.10	0.07	0.17
32	32-Gorakhpur	49461	1.15	0.76	1.91
33	33-Hameerpur	35524	0.82	0.55	1.37
34	34-Hardoi	0	0.00	0.00	0.00
35	35-Hathras	8268	0.19	0.13	0.32
36	36-Itawah	0	0.00	0.00	0.00
37	37-J.P. Nagar	0	0.00	0.00	0.00
38	38-Jalaun	106272	2.46	1.64	4.10
39	39-Jaunpur	3404	0.08	0.05	0.13
40	40-Jhansi	203297	4.71	3.14	7.85

Sl. No.	Districts	No. of children under SCP category availed MDM in PS (including Secondary Schools) during summer vacation as given by districts	Conversion Cost Funds Being Released as 3rd Installment for drought affected districts		
			Central Share	State Share	Total
1	2	3	5	6	7=5+6
41	41-Kannauj	52994	1.23	0.82	2.05
42	42-Kanpur Dehat	11133	0.76	0.17	0.43
43	43-Kanpur Nagar	5318	0.13	0.08	0.21
44	44-Kaas Ganj	0	0.00	0.00	0.00
45	45-Kaushambi	963	0.02	0.02	0.04
46	46-Kushinagar	7436	0.17	0.12	0.29
47	47-Lakhimpur Kheri	0	0.00	0.00	0.00
48	48-Lalitpur	198122	4.59	3.06	7.65
49	49-Lucknow	146	0.01	0.00	0.01
50	50-Mahoba	212293	4.91	3.28	8.19
51	51-Mahrajganj	2944	0.07	0.04	0.11
52	52-Mainpuri	377	0.01	0.00	0.01
53	53-Mathura	0	0.00	0.00	0.00
54	54-Mau	16951	0.39	0.26	0.65
55	55-Meerut	0	0.00	0.00	0.00
56	56-Mirzapur	148879	3.45	2.30	5.75
57	57-Moradabad	0	0.00	0.00	0.00
58	58-Muzaffarnagar	0	0.00	0.00	0.00
59	59-Pilibhit	1239	0.03	0.02	0.05
60	60-Pratapgarh	50876	1.18	0.78	1.96
61	61-Rai Bareilly	10208	0.23	0.16	0.39
62	62-Rampur	29038	0.67	0.45	1.12
63	63-Saharanpur	0	0.00	0.00	0.00
64	64-Santkabir Nagar	23713	0.55	0.37	0.92
65	65-Shahjahanpur	97159	2.25	1.50	3.75
66	66-Shrawasti	0	0.00	0.00	0.00
67	67-Siddharthnagar	3034	0.07	0.05	0.12
68	68-Sitapur	0	0.00	0.00	0.00
69	69-Sonbhadra	7765	0.18	0.12	0.30
70	70-Sultanpur	5362	0.13	0.08	0.21
71	71-Unnao	2873	0.06	0.05	0.11
72	72-Varanasi	0	0.00	0.00	0.00
73	73-Sambhal	0	0.00	0.00	0.00
74	74-Hapur	0	0.00	0.00	0.00
75	75-Shamli	0	0.00	0.00	0.00
Total		1526725	35.36	23.57	58.93

(अमिताभ त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव  
उ०प्र० शासन

**[Mid-Day-Meal Scheme]  
Fund Allocation for Conversion Cost**

**Upper Primary Schools (Including Upper Primary category in Secondary Schools)  
FY 2016-17: Grant-83, PLAN: 3rd Installment for Drought Affected Districts  
(Rs. Lac)**

Sl. No.	Districts	No. of children under SCP category availed MDM in UPS (including Secondary Schools) during summer vacation as given by districts	Conversion Cost Funds Being Released as 3rd Installment for drought affected districts		
			Central Share	State Share	Total
1	2	3	5	6	7=5+6
1	01-Agra	1117	0.04	0.02	0.06
2	02-Aligarh	0	0.00	0.00	0.00
3	03-Allahabad	338	0.01	0.01	0.02
4	04-Ambedkar nagar	16605	0.58	0.38	0.96
5	05-Auraiya	342	0.01	0.01	0.02
6	06-Azamgarh	0	0.00	0.00	0.00
7	07-Badaun	0	0.00	0.00	0.00
8	08-Baghat	0	0.00	0.00	0.00
9	09-Bahraich	0	0.00	0.00	0.00
10	10-Ballia	2005	0.07	0.05	0.12
11	11-Balrampur	5455	0.19	0.13	0.32
12	12-Banda	2878	0.10	0.07	0.17
13	13-Barabanki	1068	0.04	0.02	0.06
14	14-Bareilly	0	0.00	0.00	0.00
15	15-Basti	9782	0.34	0.23	0.57
16	16-Bhadohi	3187	0.11	0.07	0.18
17	17-Bijnour	0	0.00	0.00	0.00
18	18-Bulandshahar	0	0.00	0.00	0.00
19	19-Chandauli	804	0.03	0.02	0.05
20	20-Chitrakoot	728	0.02	0.02	0.04
21	21-Amethi	222	0.01	0.00	0.01
22	22-Deoria	1352	0.05	0.03	0.08
23	23-Etah	2206	0.08	0.05	0.13
24	24-Faizabad	5222	0.18	0.12	0.30
25	25-Farrukhabad	1531	0.05	0.04	0.09
26	26-Fatehpur	22686	0.79	0.52	1.31
27	27-Firozabad	0	0.00	0.00	0.00
28	28-G.B. Nagar	0	0.00	0.00	0.00
29	29-Ghazipur	0	0.00	0.00	0.00
30	30-Ghaziyabad	7	0.00	0.00	0.00
31	31-Gonda	8	0.00	0.00	0.00
32	32-Gorakhpur	14118	0.49	0.33	0.82
33	33-Hameerpur	15971	0.55	0.37	0.92
34	34-Hardoi	0	0.00	0.00	0.00
35	35-Hathras	2733	0.10	0.06	0.16
36	36-Itawah	0	0.00	0.00	0.00
37	37-J.P. Nagar	0	0.00	0.00	0.00
38	38-Jalaun	47187	1.64	1.09	2.73
39	39-Jaunpur	2018	0.07	0.05	0.12
40	40-Jhansi	123400	4.28	2.85	7.13
41	41-Kannauj	24447	0.85	0.56	1.41
42	42-Kanpur Dehat	4742	0.16	0.11	0.27

Sl. No.	Districts	No. of children under SCP category availed MDM in UPS (including Secondary Schools) during summer vacation as given by districts	Conversion Cost Funds Being Released as 3rd Installment for drought affected districts		
			Central Share	State Share	Total
1	2	3	5	6	7=5+6
43	43-Kanpur Nagar	2041	0.07	0.05	0.12
44	44-Kaas Ganj	0	0.00	0.00	0.00
45	45-Kaushambi	341	0.01	0.01	0.02
46	46-Kushinagar	2430	0.08	0.06	0.14
47	47-Lakhimpur Kheri	0	0.00	0.00	0.00
48	48-Lalitpur	87843	3.05	2.03	5.08
49	49-Lucknow	71	0.00	0.00	0.00
50	50-Mahoba	98885	3.43	2.29	5.72
51	51-Mahrajganj	1394	0.05	0.03	0.08
52	52-Mainpuri	50	0.00	0.00	0.00
53	53-Mathura	0	0.00	0.00	0.00
54	54-Mau	12901	0.45	0.30	0.75
55	55-Meerut	0	0.00	0.00	0.00
56	56-Mirzapur	49552	1.72	1.14	2.86
57	57-Moradabad	0	0.00	0.00	0.00
58	58-Muzaffarnagar	0	0.00	0.00	0.00
59	59-Pilibhit	2247	0.08	0.05	0.13
60	60-Pratapgarh	26538	0.92	0.61	1.53
61	61-Rai Bareilly	4346	0.15	0.10	0.25
62	62-Rampur	8861	0.31	0.20	0.51
63	63-Saharanpur	0	0.00	0.00	0.00
64	64-Santkabir Nagar	9705	0.34	0.22	0.56
65	65-Shahjahanpur	38840	1.34	0.90	2.24
66	66-Shrawasti	0	0.00	0.00	0.00
67	67-Siddharthnagar	1314	0.05	0.03	0.08
68	68-Sitapur	0	0.00	0.00	0.00
69	69-Sonbhadra	2267	0.08	0.05	0.13
70	70-Sultanpur	2480	0.07	0.07	0.14
71	71-Unnao	1343	0.04	0.04	0.08
72	72-Varanasi	0	0.00	0.00	0.00
73	73-Sambhal	0	0.00	0.00	0.00
74	74-Hapur	0	0.00	0.00	0.00
75	75-Shamli	0	0.00	0.00	0.00
Total		665608	23.08	15.39	38.47



(अमिताभ त्रिपाठी)  
संयुक्त सचिव  
उ०प्र० शासन

k<sup>o</sup>

~

प्रेषक,

अमिताभ त्रिपाठी,  
संयुक्त सचिव,  
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी  
उत्तर प्रदेश ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2016

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति सब प्लान से परिवर्तन लागत मद में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक(एन०सी०एल०पी० विद्यालयों सहित) विद्यालयों (जिसमें माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाएं भी सम्मिलित हैं ) हेतु केन्द्रांश/राज्यांश की सूखाग्रस्त जनपदों हेतु तृतीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्र संख्या-म०भ० प्रा०/1641/2016-17 दिनांक 08.09.2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत परिवर्तन लागत के रूप में प्राथमिक विद्यालयों विद्यालयों हेतु केन्द्रांश के रूप में रू०-35.36 लाख (रू० पैंतीस लाख छतीस हजार मात्र ) तथा राज्यांश के रूप में रू०-23.57 लाख ( रू० तेइस लाख सत्तावन हजार मात्र ) अर्थात् कुल रू०-58.93 लाख (रू० अटठावन लाख तिरान्चे हजार मात्र ) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (एन० सी० एल० पी० विद्यालयों सहित ) हेतु केन्द्रांश के रूप में रू०-23.08 लाख (रू० तेइस लाख आठ हजार मात्र ) व राज्यांश के रूप में रू०-15.93 लाख (रू० पन्द्रह लाख तिरान्चे हजार मात्र) कुल रू०-38.47 लाख (रू० अडतीस लाख सैंतालिस हजार मात्र) अर्थात् कुल रू०-97.40 लाख (रू० सत्तान्चे लाख चालीस हजार मात्र ) की धनराशि तृतीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार विवरण 1 व 2 के अनुसार व्यय किए जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में पके-पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु परिवर्तन लागत की दर रू०-3.86 प्रति छात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश रू०-2.32 तथा राज्यांश रू०-1.54 होगा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु पके-पकाये भोजन की व्यवस्था हेतु रू०-5.78 प्रतिछात्र प्रतिदिन होगी जिसमें केन्द्रांश रू०-3.47 तथा राज्यांश रू०-2.31 होगा।

2- वास्तविक धनराशि का आहरण ही कोषागार से किया जायेगा एवं जितनी धनराशि आहरित हो उसका व्यय निर्धारित अवधि में सुनिश्चित कर लिया जाय। योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा व योजना का समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी अनियमितता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।


3- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मध्यान्ह भोजन का लाभ वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित कार्य दिवसों तक ही सीमित रखा जायेगा।

✓

--2/.

- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा ।
- 6- उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में टीम भेजकर सूची में दिये गये क्षेत्रों का सत्यापन करायेंगे ।
- 7- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक '2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0103-मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कूकिंग लागत आदि (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जाएगा ।
- 8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर-2 (21) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं ।


संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,  
  
( अमिताभ त्रिपाठी )  
संयुक्त सचिव ।

संख्या-1597(1)/79-6-2016-1066/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर ।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 8- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 ।
- 10- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
- 11- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 ।
- 12- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 ।
- 13- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग ।
- 14- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।
- 15- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, शिक्षा विभाग ।
- 16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,  
  
( अमिताभ त्रिपाठी )  
संयुक्त सचिव ।